


प्रपत्र -19

परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 है। अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी.....14.....किमी। है।



 ह०

 उप वन सरक्षक

 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग्या

 प्रभाग्या वनाधिकारी

 गोपश्वर (चमोली)

नोट:- उक्त प्रमाण— पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र -20

परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 है। अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

मुख्य वन्य जीव, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण—पत्र।

ह०/-

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

नोट:- उक्त प्रमाण— पत्र आवेदित वन क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का भाग होने, किसी वन्य जीव क्षेत्रों की परिधि के 10 किमी। के अन्तर्गत होने अथवा अन्य वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जायेगा।